दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

महत्वपूर्ण एवं खास

कमजोर परफार्मेंस के आधार पर हटाए गए 17 पुलिस अफसर बहाल

रायपुर। राज्य सरकार ने कमजोर परफार्मेंस और गड़बड़ सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर प्रदेश के जिन 42 पुलिस अफसर-कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी, उनमें से 17 को मंगलवार को बहाल कर दिया गया। बहाल हुए कर्मचारियों में इंस्पेक्टर से एएसआई तक हैं। सभी की बहाली की आदेश सिंगल-सिंगल निकाले गए हैं।

इंस्पेक्टर बरनादत्ता कुजूर और दया कुर्रे की बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है। जिन अफसर-कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर सेवा से हटाया गया था। उन्होंने सरकार के पास एक साथ अर्जी लगाकर फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था। इस आधार पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के अफसरों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने संबंधित आवेदकों के पक्ष को सुना और उनका रिकार्ड भी जांचा। सूत्रों के अनुसार इसी सुनवाई के आधार पर 17 लोगों को वापस नौकरी में रखा गया है।

बिलासपुर से बर्खास्त सब इंस्पेक्टर आशीष वासनिक को भी बहाल कर दिया गया है। उसे बिलासपुर के तत्कालीन आईजी पवन देव ने एक मामले में इंस्पेक्टर से डिमोट कर सब इंस्पेक्टर बना दिया था। मामले की जांच में दोषी पाए जाने के बाद आशीष को बर्खास्त कर दिया गया। उसने भी सरकार के पास आदेश के खिलाफ अपील की थी। तब डीजी ने फिर से जांच कराई, लेकिन उसे सब इंस्पेक्टर पद पर ही बहाल करने का आदेश जारी किया।

सरकार ने 15 इंस्पेक्टर, 9 सब इंस्पेक्टर और 18 एएसआई को जबरदस्ती सेवानिवृत्ति दी थी। इसमें इंस्पेक्टर जेवियर केरकेट्टा, रामकुमार, जय सिंधु, फ्रेडरिक केरकेट्टा, सविता दास, वी प्रभा राव, जीतेश वाणी, फिल्मोन टोप्पो, जय सिंह मंडावी, छन्नूराम उइके, बरना दत्त कुजूर, संजूराम कोडोपी, विपिन किशोर कुजूर, मोतीलाल शर्मा, दया कुर्रे, बहादुर प्रसाद भाखला सब इंस्पेक्टर ध्रुवदास वैष्णव, रामेश्वर प्रसाद रात्रे, केआर साहू, दिलीप सिंह मंडावी, एनआर मारकंडेय, झार सिंह हिरवानी, जगन सिंह कंवर, शिवकुमार साय, वैभव तिग्गा और 18 एएसआई शामिल हैं।

पुसौर के पास सुर्री में मोटर सायकल चालक से मोबाईल की लूट

मामले में 03 अपचारी बालक व 01 युवक गिरफ्तार

रायगढ़। ग्राम सुर्री थाना पुसौर में रहने वाला देवेन्द्र कुमार दुबे पिता तनक राम दुबे उम्र 38 साल श्री साई कंस्ट्रशन में साईड इंचार्ज का काम करता है 9 अक्टूबर को देवेन्द्र दुबे रोजाना की भांति जिंदल प्लांट से रात्रि 09 बजे डियूटी समाप्त होने पर अपने मो. सा.क्र. होण्डा साईन क्र. सीजी 13, डब्ल्यू 0353 को स्वंय चलाते अपने घर ग्राम सुर्री जा रहा था कि रात्रि सुर्री के पास बेलाही खार एवं डीही धर्सा के बीच सड़क पर तीन लड़के उम्र लगभग 17-18 साल के देवेंद्र दुबे को हाथ देकर रूकवाये, देवेन्द्र दुबे के रूकने पर तीनों लडके हाथापाई, गला दबाकर देवेन्द्र से एक मोबाईल रेडमी 4 एवं 770 रूपये लूट लिये, भागते समय देवेन्द्र एक लडके को पकड़ने का प्रयास किया जिसका जैकेट वहीं छूट गया और तीनों लड़के वहां से भाग गये। उसी समय रास्ते में आ रहे राजा राम साहू निवासी सूर्री को देवेन्द्र रूकवाया और गांव के कुछ और लोगों के साथ लूट करने वाले लड़कों को तलाश करने लगा, तभी उन्हें लोहरसिंग के पास एक लड़का संदिग्ध हालत में मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने लूट में शामिल 03 और साथियों के नाम बताया। रिपोर्टकर्ता देवेन्द्र कुमार दुबे के रिपोर्ट पर थाना पुसौर में अप.क्र. 217/18 धारा 392,34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया जाकर अपचारी बालकों से लूटी हुई मोबाईल, 500 रूपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त किया गया है। घटना के बालिग आरोपी को जेएसएफसी रायगढ़ कोर्ट में तथा अपचारी 03 बालकों (उम्र 15, 16, 17) को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया है।

रोड लाईन ढाबा पर पूंजीपथरा पुलिस की शराब रेड कार्यवाही

55 पाव देशी तथा विदेशी शराब जब्त

रायगढ़। 10 अक्टूबर को थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक संतोषी ग्रेस द्वारा हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर सूचना पर पूंजीपथरा के पाण्डेय ढाबा में शराब रेड कार्यवाही किया गया, इस दौरान ढाबा के काउण्टर के पास एक प्लास्टिक के बोरी में रखा 20 पाव अंग्रेजी शराब सुपर जिप्सी एवं 35 पाव देशी शराब को जप्त किया गया तथा काउण्टर पर बैठे ढाबा के संचालक अरविन्द कुमार उपाध्याय पिता त्रिभुवन उपाध्याय के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में अप.क्र. 129/18 धारा 34 (2), 59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है।

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी पर तीखे वार किया..कहा - क्रूर बनने के लिए बौखलाए हैं राहुल

फतेहपुर। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गुरुवार को राहुल गांधी पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि राफेल डील को लेकर राहुल गांधी बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि घोटाले का फंदा कहीं उनके या उनके परिवार के गले में न पड़ जाए। राहुल गांधी ढाई राज्यों में बचे हैं। उनमें प्रधानमंत्री बनने की छटपटाहट है, लेकिन प्रधानमंत्री जनता बनाती है। साध्वी ने मेरठ के इंचौली में मूर्ति स्थापना से रोके जाने के प्रकरण को दुखद बताया है। साथ ही, गुजरात से उत्तर भारतीयों के पलायन के मामले पर कहा कि, गुजरात को बदनाम करने के लिए कांग्रेस षडयंत्र कर रही है। कांग्रेस के दो नेता ही इस पूरे मामले में शामिल हैं।कांग्रेस किस हद तक जाएगी यह कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मामला भड़काने वालों पर कार्रवाई हो रही है।

महागठबंधन के अस्तित्व के सवाल पर साध्वी ने कहा कि पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए महागठबंधन कर रही हैं। लेकिन 2019 आते आते गठबंधन बिखर जाएगा।

एकाउंट हैक कर ओपी चौधरी को गाली लिखने वाला गिरफ्तार, बताया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ता

रायगढ़। मकरध्वज पटेल उर्फ मन्नू पटेल के फेसबुक एकाउंट को हैक कर भाजपा नेता ओपी चौधरी के लिए गली गलौज लिखने वाला खोखरा गांव के मनोहर दास को पुलिस ने अंततः गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार उसने मकरध्वज पटेल का फेसबुक पासवर्ड हासिल कर सजे वाल पर लिख रहा था भद्दी बातें।

14 स्थाई वारंट तामील

रायगढ़। 11 अक्टूबर को थाना कोतरारोड द्वारा तीन स्थाई वारंटी क्रमशः (1) सुमन कुमार टोप्पो पिता जेवियर टोप्पो निवासी बोरपी थाना फरसाबहार जिला जशपुर हाल मुकाम कोसमपाली थाना कोतरारोड, वारंटी सुमन कुमार टोप्पो के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय द्वारा आप. प्र.क्र. 170/06 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी में स्थायी वारंट जारी किया गया था। (2) संजीव कुमार चौहान पिता मदन सिंह चौहान ढिमरापुर थाना कोतवाली रायगढ़ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 115/05 धारा 304 ए आईपीसी में जेएसएफसी रायगढ़ द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। (3) गौतम यादव पिता सूरज यादव निवासी रवनी रोड बगीचा जिला जशपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 641/10 धारा 279, 337, 304 ए आईपीसी के मामले में जेएसएफसी रायगढ़ द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था।

थाना चक्रधरनगर के द्वारा आरोपी विक्की कुमार पिता देवेंद्र कुमार छड़ीमली निवासी छोटे अतरमुड़ा चक्रधरनगर को जारी स्थाई वारंट की तामिली की गई है, विक्की कुमार के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 24, 25 एवं 26/11 अन्तर्गत धारा 454,380,34 ता.हि. में 03 स्थायी वारंट जारी किया गया था, वारंटी को न्यायालय पेश कर 03 स्थायी वारंट की तामिली की गई ।

थाना कोतवाली के द्वारा आरोपी (1) उमेश कुमार पिता मुडिया चंद्रा उम्र 29 वर्ष साकिन जोगीडीपा थाना बिलाईगढ जिला रायपुर के विरूद्ध धारा 420, 379,411 ताहिं के प्रकरण में स्थायी वारंट जारी किया गया था। (2) कुमार सिंह पिता रामधनी सिंह थाना चक्रधरनर निवासी के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 452, 299,323, 506 ए भादवि के प्रकरण में स्थायी वारंट जारी किया गया था। (3) गोवर्धन देवांगन पिता लखन लाल देवांगन बिलाईगढ़ जिला रायपुर निवासी के विरूद्ध धारा 379 ताहि के प्रकरण में स्थायी वारंट जारी किया गया था, वारंटी को न्यायालय पेश कर तामिली की गई है।

थाना खरसिया के द्वारा आरोपी (1) जगदीश राम उरांव उर्फ सिदयान्द उरांव पिता शनिराम उरांव उम्र 27 वर्ष निवासी डुमरपारा थाना बाराद्वारा जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध धारा 279, 337,338 भादंवि के प्रकरण में स्थायी वारंट जारी किया गया था (2) चंद्रमणि राठिया पिता घासी राम राठिया उम्र 30 वर्ष साकिन चौकी जोबी थाना खरसिया के विरूद्ध धारा 379 धारा देवी के प्रकरण में स्थाई वारंट जारी किया गया था। वारंटी को न्यायालय पेश कर तामिली की गई।

थाना घरघोड़ा के द्वारा आरोपी (1) संतराम कुर्रे पिता सेतराम कुर्रे उम्र 20 वर्ष साकिन बडे गुमडा थाना घरघोडा के विरूद्ध धारा 279,337,338 भादवि के प्रकरण में स्थायी वारंट जारी किया गया था।

(2) प्रेमनाथ पिता हरिनाथ सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नं 13 घरघोड़ा के विरूद्ध 135 विद्युत अधिनियम के प्रकरण में स्थायी वारंट जारी किया गया था। (3) लम्बोदर निषाद पिता लक्ष्मी निषाद उम्र 25 वर्ष साकिन बरपाली थाना घरघोडा के विरूद्ध धारा 294,323,324,506 ताहि के प्रकरण में स्थायी वारंट जारी किया गया था, वारंटी को न्यायालय पेश कर तामिली की गई है।

सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मिश्रा के विषय में ओछी टिप्पणी से भड़का प्रेस क्लब

प्रेस क्लब ने पारित किया निंदा प्रस्ताव

रायगढ़। रायगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष वासुदेव मोदी एवं कार्यकारी अध्यक्ष नरेश शर्मा ने एक दल विशेष के लोगों द्वारा प्रेस क्लब के सम्मानीय सचिव दिनेश मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया में की जा रही विद्वेषपूर्ण टिप्पणियों व दुष्प्रचार की बेहद कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने एक प्रेस-विज्ञप्ति में कहा कि मीडिया का चाहे जो भी स्वरूप हो पत्रकार उसका उपयोग करके जनहित के मुद्दों को सामने रखकर तंत्र में व्याप्त विसंगतियों को सामने लाता है। गहरे अर्थ में लोकतंत्र की रक्षा हेतु सत्ता व उसमें काबिज लोगों का आलोचनात्मक विश्लेषण ही जनोन्मुखी पत्रकारिता है। पत्रकार दिनेश मिश्रा साहस के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

उनके लेखन के दायरे में समय-समय पर लगभग सभी राजनैतिक दल शामिल रहे हैं। एक जागरूक पत्रकार का अपने तेवर के अनुरूप दुर्भावना रहित ढंग से सत्तारूढ़ दल के नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बिना किसी हील-हुज्जत के जनता के समक्ष रखना स्वभाविक पत्रकारिता कर्म है। दिनेश मिश्रा ने यही किया है।

इस पर उन्हें नकली लेखक' कहना या उनके तथा उनके परिवारजनों पर अमर्यादित टिप्पणी करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है। यह ना केवल दिनेश मिश्रा वरन् संपूर्ण प्रेस बिरादरी का अपमान है।

आवाज जरूरी है अभियान के तहत नौ दिन नौ शपथ का अभियान

रायगढ़। आवाज जरूरी है अभियान के तहत नवरात्रि उत्सव के अवसर पर जिला निर्वाचन टीम रायगढ़ द्वारा नौ दिन नौ शपथ का नया अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान में महत्वपूर्ण समूह शामिल होंगे जो हमारी रोज की दिनचर्या में शामिल होते है। लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। प्रत्येक दिन समाज के महत्वपूर्ण वर्ग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने की शपथ लेंगे एवं इस अभियान को सफल बनायेंगे। 9 दिन अलग-अलग समूहों में आटो चालक, रिक्शा चालक, सब्जी वाले, डाक्टर्स आदि समूहों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी कड़ी में पहले वर्ग का चयन किया गया जो हमारी दिनचर्या में हर जगह शामिल होते है और 24 घंटे 365 दिन अपनी सेवाएं जनता को प्रदान करते हैं आटो चालक। ये हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। उन्हें मतदान की प्रक्रिया के बारे बताया गया कि किस प्रकार मतदान की प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी सहभागिता से मतदान को सफल बना सकते है। उन्हें संक्षिप्त में इपिक की महत्ता के बारे में समझाया गया और वे किस तरह अपना नाम मतदान के पहले वोटर लिस्ट में देख सकते है।

रामदास के प्रेरणादायी उद्बोधन से नागपुर अग्रसमाज में उत्साह और जोश का संचार

नागपुर में अग्रसेन जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न

रायगढ़। सुप्रसिद्ध समाजसेवी रामदास अग्रवाल ने नागपुर में अग्रसेन जयंती समारोह को मुख्य अतिथि की हैसियत से संबोधित करते हुए कहा कि अग्रवाल समाज को एकजुट रहना चाहिए और उसे सामाजिक सेवा और राजनीति भागीदारी बढ़ानी चाहिए। अपने विस्तृत उद्बोधन में रामदास ने सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए कहा कि अग्रवाल समाज महाराज अग्रसेन द्वारा स्थापित किए समाजवाद के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए और उसका विस्तार करे।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की
खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर
एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931